Reg. No.	Reg. Year	Book No.
2511	2010-2011	4

Ist Party न्यासकर्ता

IInd Party

Witness गवाह

Ist Party

IInd Party

Ist Party न्यासकर्ता :- Madan Lal

IInd Party न्यासी :- na

Witness गवाह Surajbhan Sharma, Ashok Kumar

Certificate (Section 60)

Registration No.2,511 in additional Book No.4 Vol No 2,760

on page 66 to 79 on this date 27/04/2010 day Tuesday

and left thumb impressions has/have been taken in my presence.

Sub Registrar

Sub Registrar I

New Delhi/Delhi

Date 27/04/2010

19 APR 2010

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

K 931215

न्यास पत्र

"मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट"

मै, मदन लाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री रेवड़ मल गुप्ता पता 1439, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, जो पश्चात के संस्थापक न्यासकर्ता के रूप मे उल्लेखित है आज दिनांक ..19../04/2010, को न्यास के इस धोषणापत्र का निष्पादन कर रहा हूँ। मेरी यह हार्दिक इच्छाएं है कि मानव समाज मे स्थाई सुख, शान्ति प्रेम संगठन, सदभाव विश्वास, निर्भयता, स्वतन्त्रता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सदाचार, हिन्दी व अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य दीर्धायु आदि उत्तम व आदर्श गुणो की स्थापना हेतु एक **"मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट"**, की स्थापना की जाए। उपर्युक्त उददेश्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनो–उपसाधनो का संग्रह किया जाए। इसके लिए निमित प्रारम्भ मे 1100/– रू प्रदान करता हूँ।

MLGupta

RegNo. 2511 Date 19/04/2010

Deed Related Detail

Deed Name TRUST			TRUST (MOVABLE)
Land Detail			
Tehsil/Sub Tehsil Sub Registrar I			Area of Building 0
Village/City Kashmere Gate			Building Type
Place (Segment) Kashmere Gate			
Property Type Residential			
Area of Property	0.00	0.00	0.00

Money Related Detail

Consideration Value 0.00 Rupees	Stamp Duty Paid 100.00 Rupees
Value of Registration Fee 3.00 Rupees	Pasting Fee 1.00 Rupees

This document of TRUST TRUST (MOVABLE)

Presented by: Sh/Smt. S/o, W/o R/o

Madan Lal Rewad Mal Monalia Gothwala Vill & P.O. Rajgarh Distt Alwar

in the office of the Sub Registrar, Delhi this 19/04/2010 day Monday
between the hours of

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar I
Delhi/New Delhi

Signature of Presenter

Executed and presented by Shri /Ms. Madan Lal

and Shri / Ms. na

Who is/are identified by Shri/Smt/Km. Surajbhan Sharma S/o W/o D/o Saroop Chand R/o B 1512 Jahangirpuri Delhi
and Shri/Smt./Km Ashok Kumar S/o W/o D/o Jai Ram R/o F 63 K Subhash Vihar Ghonda Delhi

(Marginal Witness). Witness No. II is known to me.
Contents of the document explained to the parties who understand the conditions and admit them as correct.
Certified that the left (or Right, as the case may be) hand thumb impression of the executant has been affixed in my presence

Date 27/04/2010

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar I
Delhi/New Delhi

19 APR 2010

1	ट्रस्ट का नाम	:	"मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट"
2	संस्थापक का नामः		मदन लाल गुप्ता
3.	पंजीकृत कार्यालयः		आर.जेड.सी.डी.–138, महावीर इन्कलेव, पालम कालोनी, नई दिल्ली,
4.	मुख्य कार्यालय	:	मोहल्ला गोठ वाला मकाम पोस्ट राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान
5.	कार्य क्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत वर्ष

भविष्य मे कार्यालय को कही भी स्थानानतरित किया जा सकता है तथा इसकी शाखा कार्यालय भी खोले जा सकते है।

निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम नीचे दिये गये है। यह संस्था के संस्थापक/संरक्षक द्वारा मनोनीत किया जाता है। न्यास के निम्नलिखित न्यासी या सदस्य होगें।

क्रम संख्या	नाम	पता	पद
1	मदन लाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री रेवड़ मल गुप्ता	मोहल्ला गोठ वाला मकाम पोस्ट राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान	संस्थापक / अध्यक्ष
2	श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री किशन कुमार	मोहल्ला गोठ वाला मकाम पोस्ट राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान	न्यासी / सदस्य
3	श्री ललता जैन पुत्र श्री मुल चन्द्र जैन	आर.जेड.सी.डी.–138, महावीर इन्कलेव, पालम कालोनी, नई दिल्ली,	न्यासी / सदस्य
4	श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी स्व0 श्री मुल चन्द्र जैन	आर.जेड.सी.डी.–138, महावीर इन्कलेव, पालम कालोनी, नई दिल्ली,	न्यासी / सदस्य
5	श्री कृष्णा अग्रवाल पत्नी श्री किशन कुमार	मोहल्ला गोठ वाला मकाम पोस्ट राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान	न्यासी / सदस्य
6	श्रीमती उषा अग्रवाल पत्नी श्री मदन लाल गुप्ता	मोहल्ला गोठ वाला मकाम पोस्ट राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान	न्यासी / सदस्य
7	श्रीमती मन्जू जैन पत्नी श्री ललता जैन	आर.जेड.सी.डी.–138, महावीर इन्कलेव, पालम कालोनी, नई दिल्ली,	न्यासी / सदस्य

उपरोक्त समस्त न्यासी न्यास के पूर्ति के लिए संस्थापक न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

ML Gupta

न्यास का लक्ष्य एवं उददेश्य पूर्णरूप से प्राणिमात्र के लिए धमार्थ होगा और इसकी आय देश–विदेश मे इसी प्रकार की अन्य धर्मार्थ संस्थाओ की स्थापना एवं उनका परिरक्षण करने मे बिना किसी पक्षपात के सर्वकल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमे कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नही होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

5. सस्था के मुख्य उदेदश्यः–

1 समाज के कमजोर, गरीब, निर्धन, अपंग, असहाय, निराश्रित, बेसहारा बच्चों, विधवा औरतों व वृद्व पुरूषों को समाज मे उचित सम्मान व सहायता, सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उचित प्रयास करना ।

2 न्यास के माध्यम से समाज के सभी वर्गो मे धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढाना तथा समाज व राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना।

3 न्यास द्वारा समाज के विकास, विस्तार व उन्नती हेतू कार्यक्रमों का संचालन करना व कियान्वित करना।

4 समाज के पिछड़े वर्गो के सर्वागिण विकास के लिए स्कूल व तकनीकी शिक्षा संस्थाओं एवं कॉलेजों आदि की स्थापना करना।

5 स्वच्छता एवं पर्यावरण के बारे में लोगों को जानकारी देना व इस परियोजन के लिए शिविर आदि का आयोजन करना।

6 निर्बल एवं कुपोषण रोगियों, शिशुओं को चिकित्सकों की राय के अनुसार दुग्ध एवं अल्प पौष्टिक आहार का वितरण करना ।

7 प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सैकेंड्री व उच्च शिक्षा के शिक्षायलय स्थापित करना, उन्हे हर प्रकार की मदद देना, रूग्ण शिक्षालयों

का अधिग्रहण करना तथा संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।

8 न्यास द्वारा सिलाई, कड़ाई, बूनाई, टंकण टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कम्प्यूटर, कला, कापट, और योग आदि की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना व इन प्रशिक्षण केन्द्रों को आर्थिक मदद करना व उनका सुचारू रूप से संचालन करना ।

9 ऐसे स्वप्रेरित तथा जागरूक कार्यकर्ता तैयार करना जो समाज में व्याप्त अशिक्षा, अन्याय, शोषण, उत्पीडन एवं असमानता को दूर करने, गन्दगी, बेरोजगारी, बीमारी एवं पिछडेपन को देश एवं समुदाय के सर्वागीण एवं संतुलित विकास में प्रभावकारी कदम निभा सकें ।

10 समाज राष्ट्र एंव विश्व के बौद्विक, कौतिक, नैतिक एंव आध्यात्मिक उत्थान व विकास के लिऐ कौतिक व आध्यात्मिक विज्ञान शोध संस्थान, शोध संस्थान, शोध प्रयोगशाला, संग्रहलय, विज्ञान व कला, सेमिनार, तकनीकी शिक्षा केन्द्रो का निर्माण, संचालन व सहयोग करना तथा प्रचार व प्रसार की आधुनिक विद्याओ/तकनीको के सहयोग से सर्व प्रकार का प्रचार–प्रचार और प्रकाशन करना व करवाना।

11 पिछडे इलाकों का सर्वेक्षण करना एवं उनके विकास की योजना व उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी सहायता देना।

12 आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षिणतात्क केन्द्रों का संचालन एवं निर्देशन करना।

13 वृद्वावस्था पेंशन, अपंग, विकलांग को सहायता दिलाने हेतु राजकीय स्तर पर मदद दिलानें में सहयोग करना ।

14 पोलियों व अन्य निःशक्तता से ग्रसित विकलांग बच्चों के ऑपरेशन कर उन्हें अपने पैरों पर खडा होने में मदद करने एवं उन्हें रोजगार दिलाने हेतु अन्य कार्यक्रम चलाना ।

15 न्यास संस्था के उद्देश्यों व मानव जिवन के उथ्थान के बारे में किताबें, बैनर, आदि छपवाना।

16 संक्रामक रोगों जैसे एच. आई. वी. एवं एड्स के प्रति लोगों मे जागरूकता लाना तथा जानलेवा बिमारियों की रोकथाम करना। समय–समय पर रक्तदान शिविर आदि लगाना।

17 समाज मे व्याप्त कुरीतियों जैसे–दहेज प्रथा, बाल विवाह, रूढिवादिता, बालश्रम, नशा, आपसी रंजिश इत्यादि इसके अलावा अन्य गैर कानूनी कार्य अपराध मे लिप्त होने को रोकने के सम्बन्ध मे आवश्यक प्रभावशाली व कानूनी प्रयास करना।

18 जोखिम भरे व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले उघोगों में कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराना व उनकी शिक्षा वं रहन सहन की व्यवस्था करना।

19 ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के नाम मे जमीन और या भवन आदि खरीदना या किराये पर लेना देना ।

20 धार्मिक स्थलो पर आने जाने वाले लोगो के लिए सहुलियत, पानी, बिजली, साफ सफाई, तथा अन्य जरूरी चीजों इंतजाम करवाना ।

21 अन्य समस्त सामाजिक कार्य जो मानवता के लिए वांछनीय हो यथा बाढ, अकाल, महामारी आदि कार्यों में सेवा मे लिए आगे आना एवं सेवाभाव से सेवा करना एवं सहायता पहुंचाना ।

22 बूढों बुजुर्गों व असहाय लोगों की आर्थिक सहायता करना, रहन–सहन, खाने–पीने का प्रबंध करना व उनके लिए स्वास्थ्य जांच शिवरों का आयोजन करना व इनकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना ।

23 समाज मे अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा समाज के लोगो के जीवनस्तर को सुधारने का प्रयास करना।

24 महिलाओं एवं बच्चों के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं व अन्य संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही विभिन्न अनुदानों सहायता के लिए आवेदन कर उन्हें प्राप्त करना एवं उन्हें अच्छी तरह कियान्वित करना।

25 वृद्ध परूषों/महिलाओं को वृद्ध अवस्था की पैन्सन व विधवाओं की पैन्सन के बारे मे जानकारी देना और मिलने वाली सरकारी सुविधा के बारे में जानकारी देना।

26 समिति द्वारा महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्य करना तथा गरीब परिवार की कन्याओं की शादियां करवाना और उनकी आर्थिक सहायता करना।

27 समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्रथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, इंजिनियरिंग एवं मेडिकल महाविधालय, आयुर्वेधिक, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी एक्यूपंचर इलेक्ट्रा पद्धति के महाविद्यालय की स्थापना एवं प्रशिक्षण अनुसंधान कार्य करना।

28 समिति द्वारा चिकित्सालयों को प्रशिक्षित स्टाफ मिले इसके लिए नर्स, ए.एन.एम., मिडवाइफ, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, डेन्टल टेक्नीशियन, ई.सी.जी., बी–फार्मा, डी. फार्मा, पशुध्न कम्पाउण्डर, पशु चिकित्सक के प्रशिक्षण केन्द्र विधिवत मान्यता प्राप्त कर संचालित करना।

29 समिति द्वारा विकलांगों, महिलाओं निःशक्तो एवं अन्य जरूरत मंदों को शिक्षा, छात्रावास, तकनीकी प्रशिक्षण एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन राजकीय सेवाओं का अधिकतक लाभ पहुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

30 समिति द्वारा धार्मिक स्थलो की की स्थापना करना व धार्मिक स्थलो की देख रेख करना और धार्मिक स्थलो में समय समय पर सास्कृतिक कार्याक्रमो का आयोजन करना, आश्रम का निर्माण करना।

31 नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना करना तथा समाज को नशामुक्त बनाने का प्रयास करना। समय–समय पर रक्तदान शिविरो का आयोजन करना। बहुजन हिताय– बहुजन सुखाय की नीति अपना कर समाज को निर्भय व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

32 सरकार द्वारा विशेष स्वास्थ्य सेवाओ का प्रचार–प्रसार करन क्षयरोग, कैंसर, एडस आदि बीमारियो के बारे मे सरकारी कार्यक्रम का ज्ञान देना एवं चिकित्सा सुविधा हेतु सही मार्गदर्शन करना।

33 असामाजिक तत्वो से निपटने एवं सरकार के बहुमुखी योजनाओं को साकार करने में संगठन में सदस्यों द्वारा जन जागृति हेतू अभियान चलाना ।

34 अस्पताल डिस्पेंसरी, पशु चिक्तिशालय, आदि का निर्माण कराना व उसका रख रखाव करना।

35 गरीब व असहाय लोगो को बिना किसी जाति धर्म भेद भाव के मुफ्त दवाई देना व स्वास्थय समबंधी शिविर लगाना ।

36 समय समय पर फैलने वाली घातक बिमारियो जैसे हैजा डैंगू आदि बिमारियो से बचाव हेतु लोगो को जागरूक करना व उनका इलाज करना।

37 आम जनता के उपयोग के लिए कम्युनिटी हॉल, बारातघर, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, हैल्थकेयर सेंटर, अनाथालय, बालवाडी, आंगनवाडी, शिशुगृह (जच्चा–बच्चा केन्द्र) वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेसरी, हास्पिटल, स्टेडियम, और रात्रि निवास आदि का निर्माण करना तथा विभिन्न सार्वजनिक सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाना व उनका संचालन करना।

38 समाज मे बढते अपराघ को रोकना तथा समाज व राष्ट्र के साथ जोडना।

39 समाज, राष्ट्र एवं विश्व के बौद्धिक, भौतिक एवं नैतिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए भौतिक विज्ञान व आध्यात्मिक विज्ञान के शोध–संस्थान, शोध–प्रयोगशाला, संग्रहालय, विज्ञान एवं कला, सेमिनार, तकनीकी शिक्षा केन्द्रों का निर्माण, संचालन एवं सहयोग करना तथा प्रसार एवं प्रचार की आधुनिक विधओं/तकनीकों के सहयोग से सर्व प्रकार का प्रचार–प्रसार और प्रकाशन करना व करवाना।

40 (सरकारी योजना के नियमानुसार)संस्था की समस्त आय आयकर की अधिनियम की धारा 11 (5) 1961 के तहत जमा की जायेगी, व 12–अ, 80$^{जी}$, के अर्न्तगत सहायता प्रदान करना।

न्यासियो के कर्तव्य एवं अधिकारः

1. अब से संस्था का पूरा कार्यभार संस्थापक संभालेगें और संस्था के सारे कार्यभार की जिम्मेदारी संस्थापक/संरक्षक की होगी ।

2 किसी भी समस्या का समाधान संस्थापक व ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की सहमति के द्वारा होगा ।

3 न्यास अथवा न्यास की सम्पति एवं कोष के प्रबन्ध, रक्षण/रखरखाव/ और राज चालन हेतु सभी आवश्यक काय करना। कोष समबन्धी सभी लेखा–जोखा रखना।

4 न्यास का वार्षिक आय–व्यय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। न्यास का लेखा जोखा निरीक्षक से जॉच करवाया जाए।

5 संस्थापक/अध्यक्ष एवं न्यासी जैसा उचित समझे न्यास निधि को आयकर कानून को ध्यान मे रखते हुए किसी भी आयकर अधिनियम के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त संस्थाओ, सरकारी संस्थाओ, डाकधरो तथा किन्ही भी राट्रीयकृत बैंको मे न्यास के नाम से स्थिर निधि, चालू एवं बचत खाता खोल सकते है।

6 बैंक डाकधर कम्पनी या अन्य किसी भी संस्था मे जमा न्यास की धनराशी को निकालने का अधिकार केवल संस्थापक/ संरक्षक/अध्यक्ष को होगा व इनकी अनुपस्थिति में इनके द्वारा यह अधिकार उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को होगा।

7 न्यास के उददेश्यो हेतु किसी भी व्यक्ति, परिवार, फर्म, संस्था (सरकारी अनुदान संस्था सहित) न्यास आदि से चल–अचल संपति के रूप मे सहयोग प्राप्त करना।

8 न्यास के कोष की आय अथवा संग्रहित धनराशि को पूर्ण या आंशिक रूप से न्यास के किसी भी उददेश्य के लिए पृथ्क रखना।

9 न्यास, किसी व्यक्ति, संस्था आदि से दान, चंदा तथा किराया आदि किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि को वसूल करने हेतू प्रतिनिधि या कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

10 न्यास की सभा मे प्रस्ताव पारित करके किसी न्यासी अथवा प्रतिनिधी को न्यास के नाम पर बैंक आदि मे किसी प्रकार का चालू, बचत, सावधि जमा आदि खाता खोलने का अधिकार दिया जा सकता है।

11 न्यास के उददेश्यो की प्राप्ति हेतु किसी न्यासी द्वारा अपने अधिकार के अनुरूप व्यय की गई उचित धनराशि का न्यास द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

12 न्यासी सदस्य, जो कोष व राशि वास्तव मे उसके हाथ मे आयेगी, उसका लेखा जोखा रखेगा।

13 कोई भी न्यासी, न्यास से कमीशन, वेतन आदि लेने का अधिकारी नही होगा, परन्तु संस्थापक/अध्यक्ष सहित न्यासी उचित समझेगें तो किसी भी न्यासी को पारिश्रमिक अथवा भरणपोषण के रूप मे धनराशि या वस्तुएं दे सकेंगें।

14 न्यास की चल–अचल संपति को संस्थापक/अध्यक्ष तथा न्यासी, जिन शर्तों तथा जितने समय के लिए उचित समझे, न्यास के उददेश्यो की पूर्ति के लिए विकय कर सकते है, किराये पर दे सकते है, धरोहर रख सकते हे अथवा अन्या रूप से उसका निपटारा कर सकते है।

15 न्यास तत्समय प्रवृत परिवर्तित, संशोधित, विधियो एवं विनियमों के आधीन रहते हुए कार्यरत होगा व समय–समय पर प्रदत प्रत्येक लाभ एवं छूट आदि का अधिकी होगा।

(ख) संचालन सम्बन्धी

1 इस न्यास के संस्थापक/संरक्षक आजीवन संस्थापक/अध्यक्ष होगे और न्यास की ओर से हर जगह हस्ताक्षर करने तथा न्यास के प्रबन्ध मे विभिन्न अधिकारियो का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होगे। न्यास को पंजीकरण कार्यालय मे पंजीकृत कराने, आयकर कार्यालय मे पंजीकृत कराने अथवा अन्या कानूनी कार्यवाही करने के लिए भी संस्थापक ही हस्ताक्षर कर सकेंगें, अतः संस्थापका को ये सब अधिकार है। संस्थापका की मृत्यु के बाद उनके वारिस या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इसका संस्थापक होगा ।

2 संस्थापक की अनुपस्थिति यथा– प्रवास, रूग्णता आदि अवस्था मे उनके स्थान पर उनके द्धारा लिखित निर्धारित न्यासी उनके कार्यो को करने के लिए विशेष अवधि हेतु अधिकृत होगे।

3 न्यासकर्ता अपने जीवनकाल मे अगले संस्थापक की नियुक्ति कर देंगे। वह नियुक्त संस्थापक अपने से अगले संस्थापक की नियुक्ति अपने जीवनकाल मे कर देगे। यह परम्परा सदा चलती रहेगी। प्रत्येक अध्यक्ष आजीवन संस्थापक होगे। संस्थापक का किसी दुर्धटना मे आकस्मिक निधन हो जावे तो उत्तराधिकारी की अनियुक्ति की स्थिति मे न्यास के कार्यवाहक संस्थापक पद को अधिकृत करेगे। इस संस्थापक के भी वे ही अधिकार होगे जो नियुक्त संस्थापक के होते है, तदुपरान्त न्यासी बहुसम्मति से संस्थापक की नियुक्ति करेगे।

4 न्यासियो की संख्या कम से कम दो तथा अधिक होगी। यदि न्यासी दो से कम रह जाएंगें ता शेष न्यासी उस समय तक कोई कार्य नही कर सकेंगे, जब तक कि निर्धारित न्यूनतम संख्या पूरी न हो जाए।

5 न्यासी की सभा मे दो न्यासियो की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जायेगी। वह न्यासी जो न्यास की सभा मे उपस्थित होने मे असर्मथत हो कार्यसूची के बारे मे अपने विचार भेजेगा तथा ऐसे विचारे को सम्बन्धित विषय के बारे मे उसका मत माना जाएगा।

सभी निर्णय बहुमत से होगें। विवादस्पद स्थिमि मे अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार अकेले न्यास के संस्थापक को होगा। जिसे न्यासी चुनौती नही दे सकते।

6 संस्थापक किसी भी न्यासी को हटाने व नई नियुक्त करने का अधिकार रखता है, किन्तु वे न्यासी अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला, सचरित्रवान ही हो।

7 न्यास, किसी सदस्य एवं कर्मचारी को न्यास के कार्यहेतु किसी सरकारी कार्यालय और संस्था मे उपस्थित होने, बयान देने तथा अन्य कागजात आदि रखने का अधिकार प्रदान कर सकता है।

8 न्यास से सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए वकील आदि को नियुक्त किया जा सकेगा।

9 न्यास से सम्बन्धित किसी भी भवत व संस्था/शाखा मे रहने वाले व्यक्तियो को न्यास के निर्धारित नियमो का पालन न करने तथा अनुशासन भगं करने की स्थिति मे संस्था से निष्कारि.. किया जा सकता है।

10 सर्वसाधारण के कल्याणार्थ, उपयुक्त समझे जानेवाले स्थान पर, न्यास द्वारा उपयुक्त समझी गई प्रकिया द्वारा, न्यास के लक्ष्यो का निर्वहन करने हेतु समय–समय पर समिति, उपसमिति आदि का गठन किया जा सकता है, जिसमे एक या अनेक व्यक्ति सम्मिलित हो।

11 न्यास अपनी सम्पति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्यहेतू किसी वैतनिक कर्मचारी, ठेकेदार, व दलाल को नियुक्त और निलम्बित कर सकता है।

12 न्यास के उददेश्यो को कियान्वित करने के लिए संस्थापक आवश्यकतानुसार जब उचित समझेगा न्यासियो की बैठक बुलाएगा।

13 विशेष परिस्थितियो मे न्यास एवं न्यास की चल–अचल सम्पति को पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानान्तरित या हस्तान्तरित करने का अधिकार न्यास को होगा, परन्तु यह स्थानान्तरण न्यास के मूल उददेश्यो की पूर्ति हेतू ही हो सकेगा।

14 न्यास के उददेश्यो को छोड़कर अन्या धाराओ मे परिर्वतन एवं संशोधन किया जा सकेगा।

15 संस्थापक आपात काल मे न्यास को भंग कर सकता है। ऐसी स्थिति मे सम्पूर्ण लेनदारी व देनदारी को निपटाने के बाद बची न्यास की चल–अचल सम्पति वह किसी समान उददेश्य वाली संस्था मे ही लगा सकता है। न्यास की संपति का कोई अंश किसी न्यासी अथवा व्यक्ति को नही दिया जाएगा।

यह स्पष्ट धोषण की जाती है कि न्यास की समस्त चल–अचल सम्पति का कोई अंश न्यास के उददेश्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नही किया जाएगा। और न्यास के उददेश्यो मे भी जिन कार्यो से संसार का अपेक्षाकृत अधिक उपकार होता है, उनको प्रमुखता दी जाएगी।

संस्थापक एवं न्यासियो ने उपर वर्णित तिथि, मास एवं वर्ष मे इस न्यासपत्र का निष्पादन किया है।

इस वास्ते यह न्यास लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जेरूरत पर काम आवे।

साक्षी

1. SURAJ Bhan
S/o Sh. Saroop chand
B-1512, Jahangir puri Delhi
CRJ-1144664

संरक्षक / संस्थापक

2 Ashok Kumar
S/o Late Sh. Jai Ram
F-63-C, Gali No=1
Subhash vihar North Gonda Delhi.
DL-0520090008385(P)

Drafted by
S. S. SHARMA
Advocate
Old Court K. Gate
Delhi-110054